



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-03.02.2025

विषय:- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त जुबैर अख्तर को थाना लोहता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-013/2025 धारा 137(2),65(1) बी0एन0एस0 व 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट थाना लोहता कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त जुबैर अख्तर पुत्र गुलजार अहमद निवासी हरपालपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी को दिनांक-02.02.2025 को समय करीब 22.10 बजे लोहता स्टेशन के पास थाना लोहता कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 19.01.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने खुद की नाबालिग नातिन उम्र करीब 16 वर्ष जो अपने नाना के घर से अपने पिता के घर को निकली किंतु घर नहीं पहुँची काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना लोहता पर मु0अ0सं0-013/2025 धारा 137(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 65(1) बी0एन0एस0 व 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी, जिसकी विवेचना उ0नि0 अनुज कुमार के द्वारा सम्पादित की जा रही।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त जुबैर अख्तर ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपहृता/पीड़िता से प्यार करता हूँ और जब उसके घर पर कोई नहीं रहता था तो मैं उससे मिलने उसके घर पर भी जाता था। दिनांक-18.01.2025 को मैं उसको घुमाने के लिए अजमेर ले गया था और तब उसके घर वालों ने मुकदमा लिखवा दिया था, जब ये बात मुझको पता चली तो मैं उसको कैण्ट रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर भाग गया था। मैं काफी डर गया था जिसकी वजह से मैं बनारस से भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जुबैर अख्तर पुत्र गुलजार अहमद निवासी हरपालपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी, उम्र 22 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

लोहता स्टेशन के पास थाना लोहता वाराणसी से, दिनांक-02.02.2025 को समय करीब 22.10 बजे ।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 013/2025 धारा 137(2)/65(1) बी0एन0एस0 व 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट थाना लोहता कमि0 वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 प्रवीन कुमार थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ0नि0 अनुज कुमार थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. उ0नि0 रवि गोंड थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।